भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2953

उत्तर देने की तारीख 07 अगस्त, 2023

सोमवार, 16 श्रावण, 1945 (शक)

ओडिशा में महिला उद्यमी

2953. डॉ. राजश्री मल्लिक:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा ओडिशा में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है;

(ख) जगतसिंहपुर में कार्यान्वित योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है;

(ग) जगतसिंहपुर जिले में विभिन्न स्व-सहायता समूहों द्वारा शुरू किए गए क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का ब्योरा क्या है; और

(घ) जगतसिंहपुर जिले में महिलाओं द्वारा स्थापित और चलाए जा रहे स्टार्ट-अप्स को प्रदान की गई सहायता का ब्योरा क्या है?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (घ)

(I) कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) अपने स्वायत्त संस्थाओं राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा और भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी के माध्यम से विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों को ओडिशा राज्य सहित पूरे देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए कार्यान्वित कर रहा है। एमएसडीई द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:

(i) छह पवित्र शहरों में उद्यमशीलता विकास का उद्देश्य संभावित और मौजूदा उद्यमियों, बेरोजगार युवाओं, कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों, पिछड़े समुदाय के युवाओं आदि की भागीदारी के माध्यम से स्थानीय उद्यमशीलता कार्यकलापों को उत्प्रेरित करना है। यह परियोजना बोधगया, कोल्लूर, हरिद्वार, पुरी, पंढरपुर और वाराणसी में कार्यान्वित की गई थी। इस परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षित महिला प्रतिभागियों की कुल संख्या 7,881 है, जिनमें से 1,288 ओडिशा राज्य से हैं।

(ii) संकल्प परियोजना: एमएसडीई के आजीविका संवर्धन हेतु कौशल अर्जन और ज्ञान जागरूकता (संकल्प) कार्यक्रम के सहयोग से निस्बड, समाज के विभिन्न सीमांत पर रहने वाले वर्गों के लिए उद्यमशीलता इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने के लिए परियोजना चला रहा है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षमता-निर्माण, इनक्यूबेशन सहायता, मेंटोरींग और हैंडहोल्डिंग के माध्यम से विभिन्न लक्ष्य-समूहों के बीच उद्यमशीलता की भावना को पैदा करना, प्रोत्साहन देना और

बढ़ावा देना है। ओडिशा राज्य में इस परियोजना के अंतर्गत महिला लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:

क्र.सं.	कार्यालाप	प्रशिक्षित महिला प्रतिभागियों की संख्या
1.	उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम	250
2.	जनजातीय समुदाय के लिए उद्यमशीलता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम	430
3.	निजीकरण के लिए उद्यमशीलता जागरुकता कार्यक्रम	85
4.	निजीकरण के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम	46
5.	मास्टर ट्रेन प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए बिज़ सखी	40
	योग	851

(iii) जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमशीलता का माहौल बनाना: निस्बड अखिल भारतीय स्तर पर जेएसएस में प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम के माध्यम से उद्यमशीलता के माहौल के निर्माण के लिए एक परियोजना कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना के दो घटक अर्थात (i) आवासीय मोड में जेएसएस के 2000 प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, और (ii) 4000 जेएसएस शिक्षुओं में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम हैं। ओडिशा राज्य में इस कार्यक्रम के तहत कुल 98 महिला लाभार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है।

(II) इसके अलावा, ओडिशा राज्य सहित देश भर में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों द्वारा की गई विभिन्न पहलों का विवरण इस प्रकार है:
(i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से, गैर-कृषि क्षेत्र में नई इकाइयों की स्थापना में ओडिशा राज्य सहित देश भर के उद्यमियों की सहायता के लिए प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (मईजीपी) कार्यान्वित कर रहा है। इसका उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों/ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को उनके अनुकूल रोजगार के अवसर प्रदान करना है।

पीएमईजीपी के तहत, सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की सीमांत राशि सहायिका का लाभ उठा सकते हैं। विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक, महिलाएं, ट्रांसजेंडर, पूर्व सैनिक, दिव्यांग, पूर्वोत्तर क्षेत्र, आकांक्षी जिले, पहाड़ी और सीमावर्ती क्षेत्रों आदि से संबंधित लाभार्थियों के लिए, सीमांत राशि ग्रामीण क्षेत्रों में सहायिका 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। परियोजना की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख रुपए और सेवा क्षेत्र में 20 लाख रुपए है। इसके अलावा, विशेष श्रेणियों से संबंधित लाभार्थियों के लिए स्वयं का योगदान, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, परियोजना लागत का 5% है, जबकि सामान्य श्रेणी के लाभार्थियों के लिए यह 10% है।

इसकी स्थापना के बाद से, दिनांक 18.07.2023 तक, लगभग 8.91 लाख सूक्ष्म इकाइयों को रुपये की मार्जिन मनी सब्सिडी का उपयोग करके सहायता प्रदान की गई है। 22,770 करोड़ रुपए से लगभग 72 लाख व्यक्तियों के लिए अनुमानित रोजगार के अवसर सृजित होंगे। सभी इकाइयों में से, 80% इकाइयां ग्रामीण क्षेत्रों (7.13 लाख इकाइयां) में हैं, लगभग 50% (4.45 लाख इकाइयां) एससी, एसटी और महिला उद्यमों के स्वामित्व में हैं, लगभग 14% (1.25 लाख इकाइयां) आकांक्षी जिलों में हैं।

पिछले 3 वर्षों के दौरान पीएमईजीपी के तहत ओडिशा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में सहायता प्राप्त इकाइयों का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	वितरित की गई सीमांत राशि (लाख रुपये में)	सहायक इकाइयां	अनुमानित रोजगार उत्पन्न हुआ
2020-21	200.45	78	624
2021-22	179.1	64	512
2022-23	156.22	62	496

(ii) वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) दिनांक 08.04.2015 को व्यक्तियों को अपनी व्यावसायिक कार्यकलापों को स्थापित करने या विस्तार करने में सक्षम बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक संपार्श्विक निःशुल्क ऋण देने के लिए शुरू की गई थी। यह स्कीम आय सृजन कार्यकलापों के लिए तीन श्रेणियों नामतः शिशु (50,000/- रुपए तक), किशोर (50,000/- रुपए से अधिक और 5 लाख रुपए तक) और तरूण (5 लाख रुपये से अधिक और 10 लाख रुपये तक) में विनिर्माण, व्यापार, सेवा क्षेत्रों और कृषि से संबद्ध कार्यकलापों के लिए भी ऋण की सुविधा प्रदान करती है। दिनांक 30.06.2023 तक, ओडिशा राज्य में महिला उद्यमियों को 2,23,21,547 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 5,85,706 जगतसिंहपुर से हैं।

(iii) वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग की स्टैंड-अप इंडिया स्कीम (एसयूपीआई) 05.04.2016 को शुरू की गई थी और इसे वर्ष 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य विनिर्माण में ग्रीन फील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए, सेवा या व्यापार क्षेत्र और कृषि से संबद्ध कार्यकलापों के लिए भी प्रति बैंक शाखा कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उधारकर्ता और एक महिला उधारकर्ता को अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) से 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच ऋण की सुविधा प्रदान करना है। दिनांक 30.06.2023 तक, ओडिशा राज्य में महिला उद्यमियों को 4,998 ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 138 जगतसिंहपुर से हैं।

(iv) ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) का ग्रामीण कौशल प्रभाग, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) की छत्र स्कीम के तहत गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। आरएसईटीआई कौशल और उद्यमशीलता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न जिलों में प्रायोजक बैंकों द्वारा स्थापित बैंक नीत-एमओआरडी वित्त-पोषित प्रशिक्षण संस्थान हैं। एमओआरडी आरएसईटीआई भवन के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और ग्रामीण गरीब उम्मीदवारों के प्रशिक्षण की लागत भी वहन करता है। 18-45 वर्ष के आयु-वर्ग का कोई भी बेरोजगार युवा जिसमें स्व-रोजगार या वौतनिक रोजगार अपनाने की योग्यता हो और संबंधित क्षेत्र में कुछ बुनियादी ज्ञान हो, वह आरएसईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है।

ओडिशा राज्य भर में 30 आरएसईटीआई कार्य कर रहे हैं। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2023-24 के दौरान दिनांक 30.06.2023 तक ओडिशा राज्य के जगतसिंहपुर जिले में महिलाओं सहित प्रशिक्षित और नियोजित उम्मीदवारों का विवरण इस प्रकार है:

वित्तीय वर्ष	कुल प्रशिक्षित	कुल नियोजित	प्रशिगक्षित महिला	नियोजित महिला
2020-21	505	357	497	357
2021-22	557	525	542	519
2022-23	413	317	406	313
2023-24	56	31	56	31

(v) भारत सरकार ने पूरे देश में 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए महिलाओं की सुरक्षा, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए एक एकीकृत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम 'मिशन शक्ति' प्रारम्भ किया है। 'मिशन शक्ति' में महिलाओं की सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण

के लिए क्रमशः दो उप-स्कीमें 'संबल' और 'सामर्थ्य' शामिल हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हब का एक नया घटक 'सामर्थ्य' उप-स्कीम में शामिल किया गया है, जिसके तहत केंद्र सरकार राज्य और जिला स्तर पर हब की स्थापना के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हब का उद्देश्य केंद्रीय (एनएचईडब्ल्यू), राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर (एसएचईडब्ल्यू) और जिला स्तर (डीएचईडब्ल्यू) दोनों पर महिलाओं के लिए बनाई गई स्कीमों और कार्यक्रमों के अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण की सुविधा प्रदान करना है ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार हो जिसमें महिलाएं को अपनी क्षमता का आभास हो। एचईडब्ल्यू के तहत देश भर में महिलाओं को स्वास्थ्य देखभाल, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, करियर और व्यावसायिक परामर्श/प्रशिक्षण, वित्तीय समावेशन, उद्यमिता, पिछड़े और आगे तक समान पहुंच सहित उनके सशक्तिकरण और विकास के लिए विभिन्न संस्थागत और योजनाबद्ध सेट-अप में मार्गदर्शन, संबद्धता स्थापित करने और सहायता प्रदान करने, जिलों/ब्लॉक/ग्राम पंचायत स्तर पर श्रमिकों के लिए जुड़ाव, स्वास्थ्य और सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और डिजिटल साक्षरता के लिए होगा।

(vi) सरकार ने भारत की स्टार्ट-अप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए एक मजबूत और समावेशी इकोसितम बनाने के उद्देश्य से स्टार्ट-अप इंडिया पहल शुरू की, जो हमारी आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाएगी, उद्यमशीलता का समर्थन करेगी और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को सक्षम करेगी। यह, अन्य बातों के साथ-साथ, नीतियों तथा पहलों और सक्षम नेटवर्क के निर्माण के माध्यम से महिला उद्यमशीलता को सुदृढ़ करने में सहायता करता है। 30 अप्रैल 2023 तक, डीपीआईआईटी के तहत कुल 98,119 मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में से 46,028, अर्थात कुल मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप में से लगभग 47% में कम से कम एक महिला निदेशक है। देश भर में महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित विशिष्ट उपाय किए गए हैं:

- महिला-नीत स्टार्ट-अप में इक्विटी और ऋण दोनों के प्रवाह को बढ़ावा देने के लिए, सिडबी द्वारा संचालित स्टार्ट-अप स्कीम के लिए फंड ऑफ फंड में फंड का 10% (1000 करोड़ रुपए) महिला-नीत स्टार्ट-अप के लिए आरक्षित है।
- महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग) महिला-नीत स्टार्ट-अप के लिए एक अद्वितीय क्षमता विकास कार्यक्रम है, जो इच्छुक और स्थापित दोनों महिला उद्यमियों को उनकी स्टार्ट-अप यात्रा में अभिनिर्धारण और समर्थन करने के लिए है। यह कार्यशालाएं प्रौद्योगिकी, निर्माण, उत्पाद, मशीन, खाद्य, कृषि, शिक्षा आदि सहित विभिन्न व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए खुली हैं। कार्यशालाएं उभरती महिला उद्यमियों और अन्य हितधारकों के लिए महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए साझा मंच के रूप में कार्य करती हैं। विंग कार्यशालाओं ने चुनौतियों पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों तथा अनुभवों को साझा करने और भारतीय संदर्भ में अपनाए गए व्यावसायिक मॉडल से सीखी गई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल वातावरण बनाया है। 9 राज्यों में कुल 24 कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिससे 1,300 से अधिक महिला उद्यमियों को लाभ हुआ।
- महिला उद्यमियों के लिए वर्चुअल इनक्यूबेशन प्रोग्राम ज़ोन स्टार्ट-अप्स के सहयोग से 3 महीने के लिए प्रो-बोनो एक्सेलेरेशन समर्थन के साथ 20 महिला-नीत तकनीकी स्टार्ट-अप्स का समर्थन करने के लिए आयोजित किया गया था।
- स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज डिजाइन किया गया है। इस पेज में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।

- स्टार्ट-अप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों को समर्पित एक वेबपेज डिजाइन किया गया है। इस पेज में केंद्र और राज्य दोनों सरकारों द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय शामिल हैं।
- सरकार द्वारा आयोजित अपने विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता-निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से, और प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से, सरकार मौजूदा स्कीमों के बारे में भी जागरूकता पैदा करती है जो महिला उद्यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों का समर्थन करती हैं।
- इसके अलावा, स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की स्टार्ट-अप रैंकिंग द्वारा सहायता प्रदान की जाती है, जो मुख्य रूप से महिला उद्यमियों को समर्थन, एक-दूसरे से सीखने और सहकारी संघवाद की सच्ची भावना में नीतियां बनाने और कार्यान्वित करने में एक-दूसरे की मदद करने सहित अच्छी पद्धतियों की पहचान करने के लिए एक अभ्यास है। 31 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र ने स्टार्ट-अप्स को समर्थन देने के लिए नीतियां अधिसूचित की हैं।
- देश में नवाचार, समावेशिता और विविधता और उद्यमशीलता की गहराई, गुणवत्ता और प्रसार की पहचान करने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्ट-अप पुरस्कार (एनएसए) की स्थापना की। एनएसए के विजेता बेंगलुरु, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई मैसूर, भोपाल, एर्नाकुलम, गुरुग्राम, कोच्चि, लखनऊ, मडगांव, सोनीपत, तिरुवनंतपुरम आदि से सामने आए हैं। एनएसए के सभी तीन संस्करणों (2020, 2021 और 2022) में एक विशेष महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप के लिए पुरस्कार श्रेणी था।
- सरकार ने महिला उद्यमशीलता इकोसिस्टम में सूचना विषमता को दूर करने के उद्देश्य से एक एग्रीगेटर मंच के रूप में वर्ष 2018 में महिला उद्यमशीलता मंच (डब्ल्यूईपी) भी शुरू किया है। सभी मौजूदा पहलों को प्रदर्शित करके और डोमेन ज्ञान प्रदान करके यह भावी और वर्तमान दोनों महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में काम करता है।

****